न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार मीना आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 35 / 2022

राजस्थान फरूट प्रीजवर्स प्रा. लि., श्रीगंगानगर हाल नाम श्रीगंगानगर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि., सूरतगढ़ रोड़, शिव चौक, श्रीगंगानगर जरिए निदेशक देवकीनन्दन गोल्याण पुत्र श्री लीलाधर गोल्याण जाति अग्रवाल आयु लगभग 77 वर्ष निवासी सूरतगढ़ रोड़, शिव चौक, श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

.... वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।
2. अजेब कौर पत्नी बलदेव सिंह जाति सिख निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. उमराव एण्ड कम्पनी प्रा.लि., चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. ओमप्रकाश पुत्र श्री जीवनराम जाति अग्रवाल निवासी 71 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
5. कैलाश देवी पत्नी केवलकृष्ण जाति अग्रवाल निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. कश्मीर सिंह पुत्र पाखर सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. कृष्णकुमार पुत्र रामभज जाति अग्रवाल निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
8. गुरनेक सिंह पुत्र केहर सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. चतर सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
10. तेजा सिह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. तनवीर सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. दर्शन सिंह पुत्र पाखर सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 15:31:42 IST
Reason: SelfAttested

9.9.2022
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

13. दर्शना देवी जाति अग्रवाल निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
14. दशमेश इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन प्रा.लि., निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
15. नवनीत कौर पत्नी जगबीर सिंह जाति जट सिख निवासी गांव कालियां, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
16. प्रकाशचन्द्र पुत्र मथरादास जाति अरोड़ा निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
17. प्रीतम सिह पुत्र पाखर सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
18. पुष्पा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी 71 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर।
19. बशेधरदास पुत्र गणेशी लाल जाति अग्रवाल निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
20. मूर्ति देवी पत्नी चिरंजीलाल जाति अग्रवाल निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
21. मलकीयत सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
22. रघुवीर सहाय पुत्र गणेशीलाल जाति अग्रवाल निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
23. रामकरण पुत्र द्वारकादास जाति अग्रवाल निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
24. रामधन सिंह पुत्र लक्ष्मणदास जाति अग्रवाल निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
25. विजय कुमार पुत्र रिखीराम जाति अग्रवाल निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
26. श्रीगंगानगर कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर जरिए निदशेक।
27. शिवकुमार पुत्र लक्ष्मणदास जाति अग्रवाल निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
28. शीला देवी पत्नी बनारसीदास जाति अग्रवाल निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
29. सतीश कुमार पुत्र ताराचन्द जाति अग्रवाल निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:31:42 IST
Reason: SelfAttested

9.9.2022
अधिकारी (राजस्व)

30. सीता देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
31. सोहन सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
32. हरदयाल सिंह पुत्र पाखर सिंह जाति जट सिख निवासी चक 1 ए छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री दिनेश छाबड़ा अधिवक्ता — वादी
2. पैरोकार राज — प्रतिवादी–1

प्रतिवादी संख्या 2 ता 32 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 09.09.2022

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वाद विभाजन का एवं वादी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती का है एवं वादी के द्वारा महज अपने नाम से अंकित कृषि भूमि का विभाजन चाहा गया है जिसमें अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ कोइ अनुतोष नहीं चाहा गया है एवं रिकॉर्ड में अंकन होने के कारण उन्हें औपचारिक लेकिन आवश्यक पक्षकार होने के नाते पक्षकार बनाया गया है। वादी श्रीगंगागनर कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड, श्रीगंगानगर, जिसका पूर्व नाम राजस्थान फरूट प्रीजर्वस प्रा. लि. था, का निदेशक है एंव इस नाते राजस्थान फरूट प्रीजर्वस प्रा. लि. हाल श्रीगंगानगर कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के नाम की कृषि भूमि के विभाजन हेतू एवं राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दुरूस्ती हेतू वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। पूर्व में कम्पनी का नाम राजस्थान फरूट प्रीजर्वस प्रा. लि. श्रीगंगानगर था जो कि भारत सरकार के मिनिस्टरी ऑफ इन्डस्ट्रीयल डवलपमैन्ट एण्ड कम्पनी अफेयर्स, कम्पनी लॉ बोर्ड के आदेश दिनांक 01.11.1968 से परिवर्तित होकर श्रीगंगानगर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. हो चुका है। प्रार्थी के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त नाम संशोधित कर राजस्थान फरूट प्रीजर्वस प्रा. लि. के स्थान पर श्रीगंगानगर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. अंकन करने के लिए आवेदन पत्र के साथ उक्त आदेश की प्रति प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी लेकिन आज दिनांक तक उक्त संशोधन राजस्व रिकॉर्ड में नहीं किया गया है चूंकि पूर्व में भूमि ... भूमि थी जो वर्तमान में कृषि है इसलिये वादी राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आदेश के अनुसार संशोधन करवाकर राजस्थान फरूट प्रीजर्वस प्रा. लि. के स्थान पर श्रीगंगानगर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. अंकन करवाने का विधिक अधिकारी है एवं इस हेतू राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्ती हेतू वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी है। राजस्थान फरूट प्रीजर्वस प्रा. लि. के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 ए

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:31:42 IST
Reason: SelfAttested

छोटी, पटवार हल्का चक 4 एम.एल., भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीगंगानगर के मुश्तरका खाता संख्या 8/5, मुरब्बा नम्बर 61 का किला नम्बर 2 ता 25 की कुल 5.1410 है. भूमि, जिसमें 3.1610 है. गैर मुमकिन, 0.2620 है. गै.मु. एव 1.7180 है. नहरी कृषि भूमि, में से 1138/5141 हिस्सा अर्थात 4.10 बीघा कृषि भूमि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी कम्पनी के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 ए छोटी, पटवार हल्का चक 4 एम.एल., भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीगंगानगर के मुश्तरका खाता संख्या 8/5, मुरब्बा नम्बर 61 का किला नम्बर 2 ता 25 की कुल 5.1410 है. भूमि, जिसमें 3.1610 है. गैर मुमकिन, 0.2620 है. गै.मु. एव 1.7180 है. नहरी कृषि भूमि में से दर्ज 1138/5141 हिस्सा अर्थात 4.10 बीघा भूमि पूर्व में औधोगिक रूपान्तरित गैर मुमकिन भूमि दर्ज रिकार्ड थी जिसके सन्दर्भ में 4.10 बीघा भूमि में से 3.10 बीघा भूमि के सन्दर्भ में माननीय जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष भू रूपान्तरण की कार्यवाही करने पर माननीय जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक– एफ 12 (3) (17) राजस्व/2021/3132 दिनांक 29.06.2022 से तहसील श्रीगंगानगर के चक 1 ऐ छोटी के मुरब्बा नम्बर 61 का किला नम्बर 21 की 165 फीट गुणा 165 फीट अर्थात 1 बीघा, किला नम्बर 22 की 165 फीट गुणा 165 फीट अर्थात 1 बीघा, किला नम्बर 23 की 165 फीट गुणा 82.5 फीट अर्थात 10 बिस्वा. किला नम्बर 24 की 165 फीट गुणा 82.5 फीट अर्थात 10 बिस्वा एवं किला नम्बर 25 की 165 फीट गुणा 82.5 फीट अर्थात 10 बिस्वा तादादी कुल 3.10 बीघा को औधोगिक गैर मुमकिन से कृषि भूमि में संपरिवर्तन करने के आदेश पारित किये। उपरोक्तानुसार ही 4.10 बीघा भूमि में से शेष रही 1.00 बीघा भूमि के सन्दर्भ में माननीय जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष भू रूपान्तरण की कार्यवाही करने पर माननीय जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक–एफ 12 (3) (17)राजस्व/ 2022/ 3259 दिनांक 06.07.2022 से तहसील श्रीगंगानगर के चक 1 ऐ छोटी के मुरब्बा नम्बर 61 का किला नम्बर 23 की 165 फीट गुणा 82.5 फीट अर्थात 10 बिस्वा एवं किला नम्बर 24 की 165 फीट गुणा 82.5 फीट अर्थात 10 बिस्वा कुल 1 बीघा को औधोगिक से कृषि भूमि में संपरिवर्तन करने के आदेश पारित किये। उपरोक्तानुसार वादी के नाम की कुल 4.10 बीघा भूमि माननीय जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 29.06.2022 एवं 06.07.2022 से, जो कि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 61 का किला नम्बर 21 ता 25 में 1138/5141 हिस्सा अर्थात 4.10 बीघा है, गैर मुमकिन से कृषि भूमि में संपरिवर्तित हो गयी जिसका राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल संख्या 325 दिनांक 27.07.2022 को वादी राजस्थान फरूट प्रीज... नाम से अंकन हो गया। वादी की उक्त वर्णित वादाधीन ... रिकार्ड में मुश्तरका प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 32 की गैर मुमकिन ... दर्ज है जबकि वादी की भूमि कृषि है तथा ... में दर्ज प्रतिवादीगण की अन्य गैर मुमकिन भूमि अथवा अन्य नहरी भूमि से कोई सरोकार नहीं है। गैर मुमकिन भूमि एवं शेष नहरी भूमि के मालिकान प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 32 एवं उनकी गैर मुमकिन भूमि से वादी का कोई विरोध नहीं है एवं ना हीं गैर मुमकिन भूमि के सम्बन्ध में धारा 53 के तहत माननीय न्यायालय वाद सुनने अथवा निर्णय का अधिकार क्षेत्र रखते है इसलिये गैर गुमकिन भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:31:42 IST
Reason: SelfAttested

मालिकान एवं भूमि से वादी का कोई सरोकार नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध कोई अनुतोष वाद पत्र में नहीं चाहा गया है एवं ना ही मुश्तरका खाता में दर्ज गैर मुमकिन भूमि के सन्दर्भ में कोई अनुतोष ही चाहा गया है। वादी कम्पनी अपने नाम की वादाधीन कृषि भूमि 4.10 बीघा, जो किला नम्बर 21 से 25 में 4.10 बीघा है एवं कृषि है, के सन्दर्भ में अनुतोष चाहते हुए उक्त नहरी कृषि भूमि को अन्य भूमि से विभक्त कर पृथक जमाबन्दी तैयार करवाकर पृथक लगान का निर्धारण करवा पाने का अधिकारी है एवं इस हेतू किसी भी अन्य का न तो कोई विधिक हित निहित है एवं ना ही किसी अन्य का कोई क्लेम अथवा उज़ है एवं ना ही वादाधीन कृषि भूमि से वादी कम्पनी के अलावा अन्य किसी का कोई सरोकार ही है इसलिये वादी अपने नाम की वादाधीन कृषि भूमि को उक्त मुश्तरका खाता संख्या 8/5 से पृथक करवाकर, जो कि गैर मुमकिन भूमि को सम्मिलित करते हुए तैयार किया गया है, पृथक जमाबन्दी तैयार करवाने एवं अलग से लगान निर्धारित करवा पाने का अधिकारी है। जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश से वादाधीन भूमि के संपरिवर्तन आदेश जारी होने के उपरान्त वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया गया कि आज दिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान फरूट प्रीजवर्स का नाम संशोधित कर श्रीगंगानगर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. अंकित नहीं किया गया है एवं जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 29.06.2022 एवं 06.07.2022 की पालना में तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 61 का किला नम्बर 21 ता 25 में 1138/5141 अर्थात 4.10 बीघा कृषि भूमि का इन्द्राज वादी कम्पनी श्रीगंगानगर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. के नाम से दर्ज कर पृथक जमाबन्दी तैयार कर पृथक से लगान का निर्धारण करें तो उनके द्वारा ऐसा करने से इन्कार करते हुए मुश्तरका खाता में इन्द्राज करते हुए माननीय न्यायालय से विधिवत विभाजन कर पृथक से वादी कम्पनी के नाम दर्ज करने एवं नाम दुरूस्त करने का आदेश लाने का कहे जाने पर प्रतिवादी संख्या 1, जो कि भू स्वामी है, के खिलाफ वादी को मौजूदा वाद प्रस्तुत करने का वाद हेतूक प्राप्त होने पर वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र में वादी के द्वारा अनुतोष चाहा गया कि डिक्री दुरूस्ती जमाबन्दी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 पारित की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे कि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 ऐ छोटी पटवार हल्का चक 4 एम. एल. के खाता संख्या 8/5 में वादी कम्पनी का नाम राजस्थानफरूट प्रीजवर्स से संशोधित किया जाकर श्रीगंगानगर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे एवं डिक्री विभाजन बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण वादाधीन कृषि भूमि वाके तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 ए छोटी, पटवार हल्का चक 4 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 61 का किला नम्बर 21 ता 25 में 1138/5141 हिस्सा अर्थात 4.10 बीघा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 वादी कम्पनी को खातेदार घोषित किया जाकर वादी कम्पनी श्रीगंगानगर कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने, पृथक जमाबन्दी तैयार करने एवं पृथक लगान निर्धारित करने की पारित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:31:42 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4, 6, 8 ता 12, 14, 15, 17,

18, 21, 26, 31, 32 को जारी सम्मन पर तामील विधिवत होने एवं प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4, 6, 8 ता 12, 14, 15, 17, 18, 21, 26, 31, 32 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही एवं शेष प्रतिवादी 5, 7, 13, 16,19, 20, 22 ता 25, 27 ता 30 के विरूद्ध दिनांक 06.09.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया जिसमें राजहित को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर कोई तनकीयात बनना ना पाये जाने पर साक्ष्य वादी में वादी की साक्ष्य ली गयी। वादी के द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर चार दस्तावेज प्रदर्श करवाये जाकर साक्ष्य समाप्त की गयी। स्टेट की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 ता 32 के विरूद्ध एमपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है एवं प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसरण में प्रमाणित है कि वादी कम्पनी का नाम भारत सरकार के मिनिस्टरी ऑफ इन्डस्ट्रीयल डवलपमैन्ट एण्ड कम्पनी अफेयर्स, कम्पनी लॉ बोर्ड के आदेश दिनांक 01.11.1968 से परिवर्तित होकर श्रीगंगानगर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. हो चुका है एवं माननीय जिला कलैक्टर के संपरिवर्तन आदेश से यह भी प्रमाणित है कि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 ए छोटी, पटवार हल्का चक 4 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 61 का किला नम्बर 21 ता 25 में 1138/5141 हिस्सा अर्थात 4.10 बीघा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की वादी कम्पनी खातेदार घोषित होकर वादी कम्पनी श्रीगंगानगर कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के नाम से उक्त भूमि विभाजन में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर, पृथक जमाबन्दी तैयार की जाकर पृथक लगान निर्धारित करना उचित है अतः वाद स्वीकार किया जावे। राज पैरोकार के द्वारा राजहित को ध्यान रखने का निवेदन किया गया।

बरवक्त निर्णय हमारे द्वारा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद में विवादित कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 ए छोटी, पटवार हल्का चक 4 एम.एल. के मुरब्बा नम्बर 61 का किला नम्बर 21 ता 25 में 1138/5141 हिस्सा अर्थात 4.10 बीघा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 पूर्व में राजस्थान फ्रूट प्रीजवर्स के नाम से रिकॉर्ड में अंकन है जो भारत सरकार के मिनिस्टरी ऑफ इन्डस्ट्रीयल डवलपमैन्ट एण्ड कम्पनी अफेयर्स, कम्पनी लॉ बोर्ड के आदेश दिनांक 01.11.1968 से परिवर्तित होकर श्रीगंगानगर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. हो चुकी है ऐसी स्थिती में वादी कम्पनी का नाम रिकॉर्ड में राजस्थान फ्रूट प्रीजवर्स के स्थान श्रीगंगानगर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. खातेदार अंकित किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं जहां तक वाद में विभाजन के संदर्भ में अनुतोष प्रदान करने का प्रश्न है तो पत्रावली में उपलब्ध संपरिवर्तन आदेश दिनांक 29.06.2022 एवं 06.07.2022 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 61 का किला नम्बर 21 ता 25 में 1138/5141 हिस्सा अर्थात 4.10 बीघा है, भूमि गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 16:31:42 IST
Reason: SelfAttested

मुमकिन से कृषि भूमि में वादी कम्पनी के आवेदन पर वादी कम्पनी की भूमि होना मानते हुए माननीय जिला कलैक्टर, श्रीगंगानगर के द्वारा संपरिवर्तित की गयी है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में इंतकाल संख्या 325 दिनांक 27.07.2022 को राजस्थान फरूट प्रीजवर्स के नाम से अंकन हो चुका है। ऐसी स्थिती में उक्त बिन्दु को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 1 ए छोटी, पटवार हल्का 4 एमएल, भू.अ.नि. श्रीगंगानगर खाता संख्या 8/5 के अनुसार वादी कम्पनी श्रीगंगानगर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. को 1138/5141 हिस्सा अर्थात 4.10 बीघा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर राजस्थान फ्रूट प्रीजर्वस के स्थान पर श्रीगंगानगर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. अंकन करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश कमांक रा.म./न्याय/स्था./प–51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के प्रावधानों एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 1 ए छोटी, पटवार हल्का 4 एमएल, भूअ.नि. श्रीगंगानगर जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 8/5 में वादी कम्पनी के हिस्सा एवं मौका अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करे। वाद व्यय पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। यथा प्राथमिक डिकी जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09.09.2022 को जारी किया गया।

9.9.2022

(मनोज कुमार मीना)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीगंगानगर (राज.) *

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2022.12.14 15:31:42 IST
Reason: SelfAttested